(92)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7234–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–9–2016 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला भोपाल प्रकरण कमांक 4/बी–103/2015–16/धारा–48(ख).

1– कृष्ण पुष्प बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स
द्वारा भागीदार राजेन्द्र सिंह
आत्मज किशन सिंह एवं
उदय सिंह आत्मज आर. सिंह
पता एम.बी. 12, मानसरोवर कॉम्पलेक्स
होशंगाबाद रोड, भोपाल
2– मुकेश कुमार जैन आत्मज राजकुमार जैन
निवासी ए–2, जियो लाईफ अपार्टमेंट सतना .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प भोपाल .....अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, एम.पी. नगर, वृत्त भोपाल द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला भोपाल से इस आशय का अभिमत चाहा गया कि खसरा कमांक 252/2/2 एवं खसरा कमांक 252/2/3 रकबा 0.62 एकड़ पटवारी हल्का नं. 19 राजस्व निरीक्षक मण्डल 2 तहसील हुजूर जिला भोपाल के भागीदार फर्म में नवीन भागीदार के रूप में नाम इन्द्राज के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है । क्या उक्त नवीन भागीदारों के नाम इन्द्राज होने के पश्चात नवीन भागीदार फर्म बनने में कोई राजस्व हानि तो नहीं हो रही है । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक

4/बी–103/2015–16/धारा–48(ख). दर्ज कर दिनांक 15–9–2016 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन सम्पत्ति का मूल्य रूपये 3,66,60,000/– मान्य किया जाकर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 18,32,800/– एवं अधिनियम की धारा 40(ख) के अन्तर्गत शास्ति रूपये 18,328/– कुल राशि 18,51,128/– रूपये जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ पेशी दिनांक 28–9–2017 को आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लिखित तथ्यों पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है ।

(2) अधिनियम की धारा 48(ख) में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कलेक्टर आफ स्टाम्प के मत में किसी दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क कम पाया जाता है तो सम्बन्धित से मूल दस्तावेज प्रस्तुत कराया जायेगा, परन्तु इस प्रकरण में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदकगण से मूल दस्तावेज की मांग कभी नहीं की गई है ।

(3) जहां भागीदारी फर्म का विघटन होने पर या किसी भागीदार के सेवानिवृत्त होने पर कोई स्थावर सम्पत्ति, ऐसे भागीदार, जो कि उस सम्पत्ति को अपने अभिदाय के शेयर के रूप में लाया था, से भिन्न किसी भागीदार द्वारा अपने शेयर के रूप में ली जाती है, वहां वही शुल्क लगेगा, जो ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के हस्तान्तरण पत्र (कमांक 25) पर लगता है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से आवेदकगण का प्रकरण उक्त अनुच्छेद में आना मान लिया गया है, जबकि वास्तवकिता यह है कि मेसर्स कृष्ण पुष्प बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स भागीगादी फर्म में भागीदारी विलेख में संशोधन के माध्यम से पूर्व भागीदार, भागीदारी फर्म से बिना कोई राशि लिऐ, भागीदारी फर्म के स्टॉक/पूल में अभिदाय की सम्पत्ति छोड़कर, सेवानिवृत्त हुए हैं तथा उक्त संशोधन विलेख के माध्यम से नवीन भागीदारों की भागीदारी फर्म में प्रविष्टि हुई है, जिन्हें संशोधन विलेख के माध्यम से विलेख में दर्शित शेयर प्राप्त होना है, किन्तु उनका स्टॉक/पूल में छोड़ी गई सम्पत्ति अथवा उसके किसी विशिष्ट भाग पर, किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार अथवा शेयर प्राप्त नहीं है, बल्कि उक्त सम्पत्ति तो स्टॉक/पूल का अभिन्न हिस्सा है । यदि नवीन

भागीदारों के द्वारा भागीदारी फर्म से सेवानिवृत्त लिए जाते समय अपने शेयर के रूप में स्टॉक/पूल की अचल सम्पत्ति प्राप्त की जाती है, तब ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 49–ख (क) लागू होगा, किन्तु वर्तमान स्थिति में जबकि उक्त अचल सम्पत्ति स्टॉक/पूल की ही है और किसी भी भागीदार के द्वारा उसे शेयर के रूप में प्राप्त नहीं किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अनुच्छेद लागू नहीं होता है ।

(4) उक्त दस्तावेज में यह स्पष्ट किया गया है कि नवीन भागीदारों को कमशः फर्म के शुद्ध लाभ–हानि में कमशः 15, 15, 15, 15, 20, 20 का अंश प्राप्त होगा । उक्त दस्तावेजों में किसी भी भागीदार के द्वारा अपना अंश अथवा स्टॉक/पूल की सम्पत्ति का अन्तरण नहीं किया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दस्तावेजों का त्रुटिपूर्ण व मनमाना अर्थान्वयन करते हुए चुनौती के अधीन आदेश पारित कर दिया गया, जबकि जब सम्पत्ति का अन्तरण ही नहीं हुआ है तो दस्तावेज पर जो, स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है, वह विधि द्वारा निर्धारित व उचित है तथा उस पर अन्य किसी राशि का स्टाम्प शुल्क देय नहीं है, फिर भी अपनी शक्तियों से परे जाकर उक्त आदेश पारित कर दिया गया है ।

तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर. 2007 (एन.ओ.सी.) 2254 (ए.पी.), ए.आई.आर. 1970 मद्रास 5 (फुलबैंच) एवं ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 1300 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में विस्तार से विवेचना कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि Reconstitution of partnership Dead दिनांक 1–8–2015 एवं दिनांक Reconstitution of partnership Dead (Amendment as to Retirment of old partner) दिनांक 2–11–2015 में पूर्व भागीदारी मेसर्स का निर्माण किया गया, जिसमें हिस्सा 50–50 प्रतिशत था । उनके द्वारा कृष्ण पुष्प बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स के नाम से सम्पत्ति कय की गई, जिसमें भागीदार राजेन्द्र सिंह एवं उदयसिंह थे और उनके द्वारा बिना कोई राशि लिये अपने हिस्से की भूमि मेसर्स में ही छोड़ी गई है । भागीदार ग्राम बरखेड़ा की भूमि रकबा 0.282 हेक्टेयर छोड़कर गये हैं, जिसका मूल्य 3,66,60,000/– होता है, जिस पर 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क रूपये 18,33,000/– देय है । चूंकि आवेदकगण द्वारा रूपये 200/– मुद्रांक शुल्क चुकाया गया

है, इसलिए कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 18,32,800/– देय है । साथ ही अधिनियम की धारा 40 (ख) के अन्तर्गत 1 प्रतिशत शास्ति रूपये 13,328/– अधिरोपित की जाती है । इस प्रकार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा कुल रूपये 18,51,128/– जमा करने के आदेश दिये जाकर प्रकरण तहसीलदार नजूल एम.पी. नगर भोपाल को भेजा गया है । अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर